

मौद्रिक नीतिरिपोर्ट : भारतीय रजिस्टर बँक

प्रलिमिस के लिये:

मौद्रिक नीतिरिपोर्ट, RBI, GDP, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

मेन्स के लिये:

मौद्रिक नीतिसमीक्षा का उद्देश्य


चर्चा में क्यों?

भारतीय रजिस्टर बँक (RBI) ने वर्ष 2021 के दसिंबर माह के लिये **मौद्रिक नीतिरिपोर्ट (Monetary Policy Report- MPR)** जारी की है।

- इसने लगातार नौवीं बार नीतिगत दर को अपरविरक्ति रखते हुए एक उदार रुख को बनाए रखा है।

RBI leaves repo rate unchanged for 9th straight time

The Reserve Bank has slashed the repo rate by a total of 115 basis points (bps) since March 2020 to soften the blow from the pandemic.



//

प्रमुख बाणी

- अपरविरक्ति रेट/दर:
 - रेपो दर - 4%.
 - रविरस रेपो दर - 3.35%.
 - सीमात स्थायी सुवधा (MSF) - 4.25%.
 - बँक दर- 4.25%.

- **GDP आकलन:**
 - वर्ष 2021-22 के लिये वास्तविकि **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** की वृद्धिदर 9.5% पर बरकरार रखी गई है।
- **मुद्रास्फीति:**
 - RBI ने **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** आधारित मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.3% पर बरकरार रखा है।
- **परविरतनीय दर प्रतिरक्ती रेपो (Variable Rate Reverse Repos):**
 - इसने दसिंबर 2021 के अंत तक VRRR के तहत अवशोषित की जाने वाली राशि को 7.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है।
 - अगस्त 2021 में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिये RBI ने फकिस्ड रेट ओवरनाइट रविरस रेपो की तुलना में अधिक यील्ड की संभावनाओं के कारण एक परविरतनीय दर रविरस रेपो (VRRR) कारब्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की।
- **अनुकूल रुख:**
 - RBI ने अरथवयवस्था में स्थायी सुधार होने तक एक उदार रुख जारी रखने का फैसला लिया है।
 - एक उदार रुख का अर्थ है कि मौद्रिकी नीतिसमिति (MPC) या तो दरों को कम करने या उन्हें अपरविरतति रखने का नियम ले सकती है।
 - **महत्त्व:**
 - यह अल्पकालिक ब्याज दरों को कम करके उधार लेने के लिये धन को कम खर्चीला बनाकर उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा अधिक खर्च को प्रोत्साहित करता है।
 - जब बैंकों के माध्यम से पैसा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो अरथवयवस्था में मुद्रा आपूरतबिंदु जाती है, परणिमस्वरूप व्यय में वृद्धि होती है।
 - यह राष्ट्रीय आय और धन/मुद्रा की मांग के सकारात्मक कारब्य संबंध में राजकोषीय भंडार को बढ़ाने की अनुमति देता है।
 - यह राष्ट्रीय मुद्रा भंडार को सक्रिय करने में मदद करता है और आरथिक मंदी से बचने के लिये कमज़ोर समग्र मांग को रोकता है।
 - इसलिये यह कहा जा सकता है कि एक उदार दृष्टिकोण भारत के विकास को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- **पूँजी लगाने की अनुमति नहीं:**
 - RBI ने बैंकों को अपनी विदेशी शाखाओं में पूँजी डालने के साथ-साथ कुछ नियमिक पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने के अंतर्गत अपनी पूर्व स्वीकृति के बनि मुनाफे को प्रत्यावरतति करने की अनुमति दी।
 - वर्तमान में भारत में नियमित बैंक अपनी विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों में पूँजी लगा सकते हैं, इनमें अपने लाभ को बनाए रख सकते हैं और भारतीय रजिस्ट्रेट बैंक के पूर्वानुमोदन से मुनाफे को प्रत्यावरतति/स्थानांतरति कर सकते हैं।
 - बैंकों को प्रचिलनात्मक लचीलापन (Operational Flexibility) प्रदान करने की दृष्टि से, यह नियम लिया गया है कि यदि बैंक विनियोगक पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उन्हें भारतीय रजिस्ट्रेट बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

मौद्रिकी नीतिरपिएट

- मौद्रिकी नीतिरपिएट को RBI की मौद्रिकी नीतिसमिति (MPC) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। MPC विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थरिता बनाए रखने के लिये RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिकी और संस्थानात्मक ढाँचा है।
- MPC, 4% के मुद्रास्फीतिलिंक्षण को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीतिबियाज दर (रेपो दर) नियंत्रित करती है, जिसमें दोनों तरफ 2% अंक होते हैं। RBI का गवर्नर MPC का पदेन अधिकृत है।

प्रमुख शब्दावली

- **रेपो और रविरस रेपो दर:**
 - रेपो दर वह दर है जिस पर कसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रजिस्ट्रेट बैंक) कसी भी तरह की धनराशकी कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। इस प्रकार यह में केंद्रीय बैंक प्रतिभूतिखरीदता है।
 - रविरस रेपो दर वह दर है जिस पर RBI देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है।
- **बैंक दर:**
 - यह वाणिज्यिक बैंकों को निधियों को उधार देने के लिये RBI द्वारा प्रभारित दर है।
- **सीमांत स्थायी सुवधा (MSF):**
 - MSF ऐसी स्थिति में अनुसूचित बैंकों के लिये आपातकालीन स्थिति में RBI से ओवरनाइट (रातों-रात) ऋण लेने की सुवधा है जब अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह से कम हो जाती है।
- **खुला बाजार प्रचिलन:**
 - ये RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद के माध्यम से बाजार से रुपए की तरलता की स्थिति को समायोजित करने के उद्देश्य से किये गए बाजार संचालन हैं।
- **सरकारी प्रतिभूति:**
 - सरकारी प्रतिभूतियों केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली एक व्यापार योग्य साधन होती है। ये सरकार के ऋण दायतिव को स्वीकार करती हैं।
- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:**
 - यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य प्रतिभूति को मापता है। यह **राष्ट्रीय सांख्यिकी कारब्यालय (NSO)** द्वारा जारी किया जाता है।
 - CPI खाद्य, चकितिसा देखभाल, शक्षिका, इलेक्ट्रॉनिक्स आदिविस्तुओं और सेवाओं की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिसे भारतीय उपभोक्ता उपभोग के लिये खरीदते हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/monetary-policy-report-rbi-3>

